

अंबानी के “वनतारा” की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चेलमेश्वर के नेतृत्व वाली एसआईटी को 12 सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात स्थित अनंत अंबानी द्वारा स्थापित ‘वनतारा’ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है। अदालत ने कहा कि सामान्यतः ऐसे आरोपों पर आधारित याचिका, जिनके समर्थन में कोई ठोस सबूत न हो, कानून की दृष्टि में विचारणीय नहीं होती और प्राथमिक स्तर पर ही खारिज की जानी चाहिए।

इसके बावजूद, कोर्ट ने मामले की तथ्यात्मक जांच पड़ताल के लिए जांच आवश्यक मानी है और एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर करेंगे और आयोग के अन्य

- सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट जया सुकीन व देव शर्मा की याचिका पर दिए जिनमें अखबारों में छपी खबरों के आधार पर पशु अधिकारों के हनन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
- कोर्ट ने एसआईटी गठित करते समय हालांकि यह भी कहा, कि जिन आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत न हों वे याचिकाएं खारिज कर दी जानी चाहिए पर इस मामले से तथ्यात्मक जांच जरूरी है।
- वनतारा असल में वन्यजीवों का पुनर्वास केंद्र है जहां देश विदेश से जंगली जानवर लाए जाते हैं। इस केंद्र की स्थापना अनन्त अंबानी ने की है।

सदस्य होंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले तथा अतिरिक्त आयुक्त, कस्टम्स अनीश गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पंकज मिथल और पीबी वराले की बैंच ने यह

आदेश एडवोकेट सी.आर. जया सुकीन और देव शर्मा द्वारा दायर दो याचिकाओं के आधार पर पारित किया है। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि वनतारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

याचिकाओं में लगाए गए आरोप अखबारों में छपी रिपोर्टों पर आधारित हैं और उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए। फिर भी, अदालत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करने की बजाय, एक तथ्यान्वेषण जांच का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने से जिन मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है, उनमें शामिल हैं: वनतारा द्वारा भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों का अधिग्रहण किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया से किया गया।

क्या ये गतिविधियाँ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा चिड़ियाघर नियमों के अनुरूप हैं? क्या जानवरों या उनके उत्पादों के व्यापार संबंधी नियमों का पालन किया गया है? क्या वहां पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल और पशु कल्याण से संबंधित मानकों का पालन हो रहा है?

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में 6 की मौत

जम्मू, 26 अगस्त। जम्मू के पास कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मार्ग में अर्धकुवारी के पास मंगलवार को भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गये हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह जानकारी दी।

श्राइन बोर्ड ने कहा कि अर्धकुवारी के पास हुए इस भूस्खलन में घायल हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर जम्मू के सभी स्कूल बुधवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने राहत और

- श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई।

बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अर्धकुवारी से भवन तक का मार्ग बंद कर दिया गया है। निचले ट्रंक से भी श्रद्धालुओं की आवाजाही सीमित कर दी गई है। जम्मू प्रशासन ने खराब मौसम और क्षेत्र भर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूल कल बंद रखने का निर्देश दिया है।

विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 28 को

जयपुर, 26 अगस्त। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठक 1 सितम्बर से आरंभ होगी। इससे पहले विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने, 28 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे विधान सभा में अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के

- विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने यह परम्परा शुरू की थी।

मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।

देवनानी ने विधान सभा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लोकसभा की तर्ज पर विधान सभा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया था। राजस्थान विधान सभा में पहली बार सोलहवीं विधान सभा से आरंभ हुई यह सर्वदलीय बैठक चौथी बार हो रही है।

एससीओ समिट में मोदी और पुतिन का स्वागत खुद करेगें जिनपिंग

शी इस कदम से ट्रंप को कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि टैरिफ वॉर में “ग्लोबल साउथ” एकजुट है

- चीन में हो रहे तियानजिन समिट में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं। 7 सालों में उनकी यह पहली चीन यात्रा है और भारत और चीन के बीच गंभीर सीमा विवाद को देखते हुए भी यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
- चीन भी चाहता है कि भारत अमेरिका के पाले में ना जाए क्योंकि एक स्वतंत्र तटस्थ भारत का चीन के साथ आना उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

आमंत्रित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन भारत और चीन के बीच 2020 की यातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है, क्योंकि अब भारत पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पिछले साल कज़ान, रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मोदी, शी और पुतिन ने मंच साझा किया था, जबकि उस समय पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन से दूरी बना रखी थी। नई दिल्ली में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में कहा कि मास्को को शी जिनपिंग और मोदी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की उम्मीद है।

चीनी राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों और अन्य साझेदारों पर टैरिफ युद्ध थोपने की पृष्ठभूमि में, ग्लोबल साउथ की एकजुटता का संदेश देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन, चीन में होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेंगे। यह कदम वांशिंगटन को एक सूक्ष्म किंतु स्पष्ट संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है।

शी जिनपिंग अगले सप्ताह चीन में एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच पर 20 से अधिक विश्व नेताओं को इकट्ठा करेंगे, जिससे न केवल ट्रंप के समय ग्लोबल साउथ की शक्ति का प्रदर्शन होगा, बल्कि प्रतिबंधों से जुझ रहे रूस को एक और कूटनीतिक जीत पाने में मदद मिलेगी।

पुतिन और मोदी के अलावा, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के नेताओं को भी

परिवार बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऐसे देश में, जहाँ जैब से मेडिकल खर्च करना अक्सर परिवारों को कर्ज में डुबो देता है, सुरक्षा की लागत को कम करना न केवल आर्थिक रूप से उचित है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है।

राज्यों के संघर्षों के एक समूह ने पहले ही इस प्रस्ताव को समर्थन दे दिया है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वास्थ्य तथा टर्म जीवन बीमा योजनाओं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजनीतिक दल पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ टिप्पणी को “तैलुगु सम्मान” को आहत करने का प्रयास बताकर प्रचारित कर रहे हैं

- जाल खंबाता -
- राद्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 26 अगस्त। उपराष्ट्रपति चुनाव ने अप्रत्याशित रूप से सत्तारूढ़ एनडीए के भीतर हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी पर की गई तीखी टिप्पणी से तेलुगु राजनीतिक हलकों में बैचैनी बढ गई है। शाह ने फिर दोहराया कि सुदर्शन रेड्डी द्वारा सलवा जुद्धम आंदोलन पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय ने छत्तीसगढ में नक्सलवाद को नई जिंदगी दी। हालांकि शाह ने यह स्पष्ट किया कि “हिंसा से लडने के लिए एक और हिंसक समूह बनाना केवल दोनों पक्षों के आतंक को बढाता है,” लेकिन यह टिप्पणी अब राष्ट्रीय सुरक्षा से इतर क्षेत्रीय पहचान और गरिमा के नजरिए से देखी जा रही है-खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक इसे 1980 के दशक में एन.टी. रामाराव की राजनीतिक उदय के समय से जोडकर देख रहे हैं, जब राजीव गांधी द्वारा तत्कालीन आंध्र मुख्यमंत्री टी. अंजैया के

- इस प्रचार के दबाव में आंध्र व तेलंगाना के सांसद “तेलुगु सम्मान” की रक्षा में खड़े हो सकते हैं।
- सम्भावना बन रही है, कि चन्द्रबाबु नायडू की पार्टी के सांसद, “एन-ब्लॉक” न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट करने को मजबूर हो जायें और उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसे सामान्य, साधारण सा चुनाव माना जा रहा था, सरकार के लिए खतरे की घण्टी न बन जाये।
- जैसा, कि विदित ही है, गृहमंत्री अमित शाह ने न्यायाधीश सुदर्शन के खिलाफ टिप्पणी की थी कि, न्यायाधीश के सलवा जुद्धम आन्दोलन के खिलाफ दिये गये निर्णय से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को “नई जिंदगी” मिल गई थी।

अपमान की घटना ने तेलुगु स्वाभिमान की लहर पैदा की थी और उसी भावना को आधार बनाकर ने तेलुगु देशम पार्टी खड़ी की थी। आज, विश्लेषकों का मानना है कि शाह की टिप्पणी-चाहे वह अप्रत्यक्ष हो क्यों न हो-एक सम्मानित तेलुगु न्यायविद् पर हमला मानी जा सकती है, और इसे तेलुगु अस्मिता पर प्रहार माना जा सकता है।

तेलुगु देशम पार्टी, जो एनडीए को एक प्रमुख घटक है, के सांसद जनमत

के दबाव में आकर न्यायमूर्ति रेड्डी का समर्थन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं भले ही पार्टी स्तर पर कोई औपचारिक निर्णय न लिया गया हो। अब बहस केवल गठबंधन निष्ठा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेलुगु नेताओं की प्रतिष्ठा की रक्षा से भी जुड चुकी है। हैदराबाद के एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक का कहना है, कि अमित शाह की बातों का असर ऐसा हो सकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कौन पैदा करवा रहा है “ट्राइबल लीडर” बिरसा मुंडा और अम्बेडकर के बीच टकराव की स्थिति?

कोटा में भारतीय रेल्वे एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन को आवंटित आवास में अम्बेडकर की मूर्ति के समक्ष अनाधिकृत तरीके से क्यों लगाई गई बिरसा मुंडा की मूर्ति?

- इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि एसोसिएशन के अधिकारी “ट्राइबल” महानायक बिरसा मुंडा द्वारा, अनुसूचित जनजाति के हकों के लिए किए गए संघर्ष का भरपूर सम्मान करते हैं, परन्तु जिस जोर-जबरदस्ती और अनाधिकृत तरीके से उनकी मूर्ति स्थापित की गई, उससे केवल अनुसूचित जाति की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2022 में एसोसिएशन का चुनाव हार चुके एक गुट ने लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला, के ओ.एस.डी. के साथ मिलकर अनाधिकृत तरीके से मूर्ति लगाने का कृत्य किया।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन, राजनैतिक दबाव के चलते एफ.आर. लगाकर मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया।

ईकाई ने हाईकोर्ट में रिट याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि पिछले वर्ष लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला, के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओ.एस.डी.) ने एसोसिएशन को आवंटित

भवन में जबरदस्ती घूसकर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने ही अनाधिकृत, अवैध तरीके से झारखण्ड प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के महानायक, बिरसा मुंडा, की मूर्ति का

लोकार्पण किया, और अनुसूचित जाति के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई।

याचिकाकर्ता के वकील सतीश पचौरी का कहना है कि वे बिरसा मुंडा के अनुसूचित

जनजातियों के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष और योगदान का सम्मान करते हैं, परन्तु एसोसिएशन को आवंटित परिसर में उनकी मूर्ति स्थापित करने का कोई सरकारी आदेश नहीं था और केवल बलपूर्वक अनुसूचित जाति के सदस्यों की गरिमा को आहत करने के लिए यह कृत्य किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि 2022 में एसोसिएशन के चुनाव में एक गुट चुनाव हार गया था, जिसने प्रतिशोध लेने के लिए एसोसिएशन को आवंटित इस आवास की शांति भंग करने की कोशिश की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि मूर्ति स्थापित करने से पूर्व राजीव दत्ता व उनके सहयोगियों ने कोई तरीके की स्वीकृति प्राप्त नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- नोटिस के अनुसार 27 अगस्त को रात 12.01 के बाद भारत के गोदामों से निकले माल पर यह टैरिफ लगेगा।

समय में उठाया जा रहा है, जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ती नजर आ रही है। नोटिस में साफ कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा, जो 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे (पूर्वी डेलाइट समय) के बाद खपत के लिए आयात (शेष अंतिम पृष्ठ पर)